अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

गुरनाम सिंह उर्फ बुड सिंह बनाम दर्शन सिंह आदि

अन्तर्गत धारा 212 आरटीए नम्बर 29 सन् 2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2024/93

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.06.2024	अधिवक्तागण उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पर सुनी गई बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा दौराने बहस अर्ज किया कि चक 44 जीजी की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 98 के मुरब्बा नम्बर 45, 62/8 की कुल 6.325 हैक्टेयर भूमि में से 1.582 हैक्टेयर भूमि व खाता संख्या 115 के मुरब्बा नम्बर 26 की कुल 2.530 हैक्टेयर भूमि में से 0.632 हैक्टेयर भूमि, उक्त दोनो खातों में कुल 2.214 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी। प्रार्थी की उक्त भूमि जरिए पंजीकृत दानपत्र दिनांक 12.10.2021, 18.01.2021, 18.01.2021 से उसके पुत्रों ने अपने नाम दर्ज करवा ली है। गुरनाम सिंह की समस्त भूमि तीनों पुत्रों के नाम दर्ज होने के बाद तीनों पुत्रों द्वारा एक-एक शपथ पत्र पर घरेलू बंटवारा हुआ जिसमें दानपत्र में दर्ज आराजी उनके माता-पिता के जीवनकाल तक जीवन यापन व गुजारे भते के लिए उनके पास ही रहेगी। जरिये दानपत्र भूमि प्राप्त होने के बाद अप्रार्थी संख्या 1 दर्शन सिंह के मन में बेईमानी आ गई है और अप्रार्थी अब उक्त भूमि को येन-केन तरीके से प्रार्थी से छीनना चाहता है। यदि अप्रार्थी अपने मकसद में कामयाब हो गया तो प्रार्थी को नाम पूरा हो सकने वाला नुकसान होगा। अतः अप्रार्थी के खिलाफ इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थी चक 44 जीजी की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 98 के मुरब्बा नम्बर 45, 62/8 की कुल 6.325 हैक्टेयर भूमि में से 1.582 हैक्टेयर भूमि व खाता संख्या 115 के मुरब्बा नम्बर 26 की कुल 2.530 हैक्टेयर भूमि में से 0.632 हैक्टेयर भूमि की मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे। अप्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा मुरब्बा नम्बर 45, 26 की कुल 2.214 हैक्टेयर भूमि जरिए पंजीकृत दानपत्र अपने तीनो पुत्रो को दी जा चुकी है। जिसका इन्तकाल भी अप्रार्थी व उसके भाई/भतीजा के नाम से हो चुका है और उसी दिन से अप्रार्थी व उसके भाई काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थी द्वारा मुझ अप्रार्थी के नाम दर्ज हो चुकी भूमि की पानी की बारी भी प्रतिवादी के नाम से नहीं होने दी जा रही है। इसलिए स्थगन की आड में पानी पर्ची प्रार्थी के नाम बंधने से रोकना चाहता है। यदि प्रार्थी को दानपत्र में कोई समस्या थी, तो प्रार्थी को सक्षम सिविल न्यायालय में दानपत्र खारिजी बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया जाना चाहिए था। प्रार्थी ने गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है। जो खारिज फरमाया जावे। लिहाजा उपर्युक्त वादग्रस्त आराजी के संबध में प्रार्थी ने प्रार्थना में यह कथन किये है कि प्रार्थी के द्वारा पंजीकृत दानपत्र से अपने पुत्रों को दी गई भूमि के सबंध में एक शपथ लिखवाया गया था। जिसमें दानपत्र में दर्ज आराजी उनके माता-पिता के जीवनकाल तक जीवन यापन व गुजारे भते के लिए उनके पास ही रहेगी। जरिये दानपत्र भूमि प्राप्त होने के बाद अप्रार्थी संख्या 1 दर्शन सिंह के मन में बेईमानी आ गई है और अप्रार्थी अब उक्त भूमि को येन-केन तरीके से प्रार्थी से छीनना चाहता है। अप्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा कथन किए है कि यदि प्रार्थी को दानपत्र में कोई समस्या थी, तो प्रार्थी को सक्षम सिविल न्यायालय में दानपत्र खारिजी बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया जाना चाहिए था। प्रार्थी ने गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है। जो खारिज फरमाया जावे। अतः प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष पंजीकृत दानपत्र को निरस्त कर दिया जा सकता है और पंजीकृत दानपत्र को निरस्त व अवैध घोषित करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत प्रकरण के तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूरणीय क्षति प्रार्थी अपने पक्ष में साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी/वादी अंतर्गत धारा 212 आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भली-भांति साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।	

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर